

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक : न्याया./19/प्र.स. 148/2013/ 4159

दिनांक - 16.09.2019

प्रेषिति,

श्रीमान् भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाड़ा राज.

विषय:- उपखण्ड न्यायालय बनेडा के प्र0सं0 148/2013 निर्णय दिनांक
13.08.2019 श्रीमती उगमी ब्राहमण बनाम श्रीमती गीता ब्राहमण वगै.
सम्प्रेषण बाबत।

प्रसंग:- श्रीमान का पत्रांक/आर.टी.ए./1165 दिनांक 05.09.2019


महोदय,

प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि सन्दर्भित पत्र से इस न्यायालय के
राजस्व वादपत्र प्रकरण संख्या 148/2013 बअनवान श्रीमती उगमी ब्राहमण बनाम श्रीमती
गीता ब्राहमण वगैराह अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट में पारित निर्णय व प्राथमिक
डिक्री दिनांक 13.08.2019 सम्बन्धी मूल प्रकरण को श्रीमान् के न्यायालय से तलबी के
निर्देश प्राप्त हुए हैं। जिसकी न्यायालय श्रीमान में आगामी सुनवाई दिनांक 17.09.2019
नियत है।

अतः प्र0सं0 148/2013 निर्णय दिनांक 13.08.2019 की मूल पत्रावली इस
पत्र के साथ सलंगन कर भिजवाई जा रही है।

सलंगन:- मूल पत्रावली
(प्र0सं0 148/2013)
कुल किता- 96

भवदीय


उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा, जिला-भीलवाड़ा